न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

ईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
करण सं0 :– 46/2018 (248/2017)
ायर दिनांक :– 19.12.2017

अनवान

1. कल्याण पिता दामा मीणा नि. छाछीया बान्दोला तह. जहाजपुर
2. छोटी पिता दामा मीणा नि. छाछीया बान्दोला तह. जहाजपुर
3. चतरी पिता दामा मीणा नि. छाछीया बान्दोला तह. जहाजपुर
4. गोपाल पिता रामस्वरूप मीणा नि. छाछीया बान्दोला तह. जहाजपुर
5. गिरीराज पिता रामस्वरूप मीणा नि. छाछीया बान्दोला तह. जहाजपुर
6. लेखराज पिता रामस्वरूप मीणा नि. छाछीया बान्दोला तह. जहाजपुर
7. रिंकू पिता रामस्वरूप मीणा नि. छाछीया बान्दोला तह. जहाजपुर
8. हेमा पिता पिता रामस्वरूप मीणा नि. छाछीया बान्दोला तह. जहाजपुर
9. कमला बेवा रामस्वरूप मीणा नि. छाछीया बान्दोला तह. जहाजपुर

वादीगण......

बनाम

1. पुष्पा देवी पत्नि बलवन्त कुमार पारीक नि. खजुरी तह. जहाजपुर
2. रामचन्द्र पिता दामा मीणा नि. छाछीया बान्दोला तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री नारायण लाल शर्मा, वकील वादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 10.08.2020

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम छाछीया बान्दोला प0 ह0 किशनगढ तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 136/3 रकबा 01.19 बीघा, आ.न. 140/2 रकबा 9.01 बीघा कुल किता 2 [illegible] व प्रतिवादी सं. 2 के खातेदारी में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजियात पर [illegible] अबाध्य रूप से मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे [illegible] ग्राम छाछी[illegible]न्दोला प. ह. किशनगढ में स्थित आराजी नं. 134/3 रकबा 1.00 बी[illegible]घा कुल किता 2 रकबा 12.05 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 खातेदार पु[illegible]देवी पत्नि बलवन्त कुमार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 11:28:58 IST
Reason: SelfAttested

उपरान्त उक्त भूमि राजस्व [illegible] के [illegible] के नाम भूमि [illegible]
जो वर्तमान चालू जमाबन्दी में अंकित हैं व राजस्व अधिकारी पटवारी ने आंवटी के नाम भूमि खातेदारी से दर्ज करते समय भूलवश नक्शा लट्टा सीट मे भूमि तरमीन नही की जिससे वर्तमान नक्शा लट्टा सीट मे उक्त भूमि तरमीम नही हैं आवंटी दामा उक्त भूमि पर वक्त आवंटन व भूमि सिपुर्दगी से अबाध्य रूप से भूमि आंवटन समय के पडौस पूर्व में हरनाथ, हजारी पिता देबी मीणा नि. बान्दोला पश्चिम में खेमा पिता धूकल मीणा नि. बान्दोला उत्तर में श्रीराम पिता देवा मीणा नि. बान्दोला दक्षिण मे नाथ पिता कालू बारेठ नि. बान्दोला के बीच की भूमि आवंटन के मय से आंवटन अधिकारियों द्वारा मौके पर दी गई सिपुर्दगी के समय से भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। व आंवटी की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि पर वादीगण व सहखातेदार को अबाध्य रूप से कब्जा है। वादीगण अपने मौके पर कब्जे अनुसार भूमि नक्शा लट्टा सीट मे तरमीम कराना चाहते है। वादीगण ने दिनांक 4.08.2017 को पटवारी किशनगढ से अपनी खातेदारी भूमि की चालू जमाबन्दी की नकल व नक्शा ट्रेस की मांग की की तो पटवारी ने उक्त भूमि नक्शे में तरमीम नही होने की जानकारी दी तब दिनांक 04.08.2017 से वादीगण को वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादीगण ने उक्त भूमि की आवंटन मिसल की सम्पुर्ण पत्रावली की नकल चाहने बाबत पूर्व में तहसील जहाजपुर में प्रार्थना पत्र भी पेश किया, किन्तु पत्रावली जाया हो जाने से नकल जारी नही की गई। वाद पत्र की पैरा 2 में वर्णित भूमि पूर्व मे घीसा पिता रामा दरोगा के नाम सन् 1972 में मि. सं. 727 द्वारा ग्राम किशनगढ की बिलानाम भूमि आ. स. 134 व 140 में आवंटन की गई, व आंवटी घीसा के नाम ना. सं. 33 से भूमि गैर खातेदारी से दर्ज की गई किन्तु आवंटि घीसा को मौके पर कब्जा नही दिया गया एंव उक्त भूमि भी नक्शा लट्टा शीट मे भी तरमीम नही की गई। उक्त भूमि में सम्वत 2038 से 2041 तक घीसा का नाम गैर खातेदारी से दर्ज रहा किन्तु इसके पश्चात ना. सं. 55 दिनांक 12.06.1989 से घीसा के नाम उक्त भूमि खातेदारी से दर्ज की गई, इसी समय उक्त भूमि को राजस्व अधिकारी ने आ. सं. 134 व 140 के बजाय आ. सं. 134/3 व 140/3 दर्ज कर दिये, इसी समय राजस्व अधिकारी ने उक्त खातेदार के मौके पर कब्जे की वास्तविक जॉच किये बगैर ही उक्त भूमि को आंवटी दामा पिता धूकल मीणा के मौके पर कब्जे वाले स्थान पर घीसा पिता रामा दरोगा की भूमि आ. सं. 134/2 व 140/3 को तरमीम कर दी, व इसके पश्चात सम्वत 2043 से 2046 की जमाबन्दी मे उक्त भूमि मे आ. सं. 134/3 व 140/3 वर्णित है। घीसा पिता रामा दरोगा की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि इसके वारिसान उदा, केशु, देवकरण सरजु नानी पिता घीसा व कुनणी बेवा घीसा के नाम खातेदारी से दर्ज की गई। तब घीसा के सभी वारिसान न उक्त भूमि प्रतिवादी स. 1 पुष्पा देवी पत्नि बलवन्त कुमार पारीक को विक्रय कर दी किन्तु मौके पर पूर्व में कभी आंवटी घीसा पिता रामा दरोगा का या इसके वारिसान का कब्जा नहीं होने से भूमि की केता पुष्पा देवी का भी कब्जा नही रहा। उक्त भुमि पर आराजी सं. 10/3 रकबा 11.05 बीघा में से 9.01 बीघा भूमि एवं आरजी सं0 146/136 बिलानाम सरकार में मोके पर आराजी सं. 136/3 रकबा 1.19 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा हैं वादीगण वाद के पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि ग्राम छाछीया बान्दोला प. ह. किशनगढ की आराजी नं. 140/3 के राजस्व रेकार्ड नक्शा लट्टा शीट में तरमीम दुरूस्ती करा इसके स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी भूमि ग्राम छाछीया बान्दोला प. ह. किशनगढ की आ.सं. 140/2 को व आ.सं. 146/136 बिलानाम सरकार के स्थान पर आ.स. 136/3 को मोके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 11:28:58 IST
Reason: SelfAttested

..nirnay//rider

के कब्जे अनुसार वाद मे वर्णित भूमि के पडोसियो के मध्य नक्शा लट्टा सीट मे तरमीम किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के पारित कराये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। तथा तहसीलदार जहाजपुर को मौके एवं रेकार्ड की स्थिति के संबध रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार जहाजपुर ने अपने पत्र क्रमांक 522 दिनांक 13.02.2020 से मौके एव रेकार्ड की स्थिति की रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त रिपोर्ट में बताया की ग्राम छाछिया बान्दोला के आ.न. 136/3 रकबा 1.19 बीघा व आ.न. 140/2 रकबा 9.01 बीघा खातेदार कल्याण पिता दामा 1/3 रामचन्द्र पिता दामा 1/6 गोपाल गिरराज लेखराज रिंकू हेमा पिता रामस्वरूप कमला बेवा रामस्वरूप 1/6 भूरी छोटी पुत्रिया दामा 1/3 मीणा सा. देह के नाम दर्ज रेकार्ड हैं आ.न. 136/3 रकबा 1.19 बीघा की तरमीम नक्शे हो रखी हैं जहां तरमीम हो रखी है उस स्थान पर खातेदार का कब्जा नही होकर के उससे भिन्न स्थान पर है। तथा आ.न. 140/2 रकबा 9.01 बीघा की नक्शे मे तरमीम नही हो रखी है। आ.न .140/2 के खातेदार कल्याण पिता दामा 1/3 रामचन्द्र पिता दामा 1/6 गोपाल गिरराज लेखराज रिंकू हेमा पिता रामस्वरूप कमला बेवा रामस्वरूप 1/6 भूरी छोटी पुत्रिया दामा 1/3 मीणा सा. देह का कब्जा तरमीम सुदा आ.न. 140/3 के अधिकांश भाग पर है। ग्राम छांछिया बान्दोला के आ.न. 140/3 रकबा 11.05 बीघा व आ.न 134/3 रकबा 1.00 बीघा खातेदार पुष्पादेवी पत्नि बलवन्त कुमार पारीक सा. खजुरी के नाम दर्ज रेकार्ड हैं मुताबिक रेकार्ड नक्शा लट्टा शीट आ.न. 134/3 रकबा 1.00 बीघा व आ.न 140/3 रकबा 11.05 बीघा की तरमीम हो रखी है। खातेदार पुष्पा देवी पत्नि बलवन्त कुमार पारीक सा. खजुरी का आ.न. 134/3 रकबा 1.00 बीघा पर कब्जा हैं किन्तु आ.न.140/3 के आंशिक भाग पर ही कब्जा है जो आ.न. 134/3 व 140/3 से लगते हुये हैं एवं उक्त आ.न. के अधिकाशं भाग पर आ.न. 140/2 के खातेदार का कब्जा है। प्रकरण तरमीम संशोधन का है, प्रकरण को जल्द सुनवाई पर लेने एवं मौका एवं कब्जा अनुसार तरमीम संशोधन करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील वादीगण ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2069 से 2072, नकल जमाबन्दी सवंत 2065 से 2068, नक्शा ट्रेस की प्रति, नामान्तकरण की नकल, मौका पर्चा भुअनि खजुरी की नकल, नकल जमाबन्दी सवंत 2038 से 2041, नकल जमाबन्दी सवंत 2043 से 2045, की प्रति पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की वर्णित भूमि ग्राम छाछीया बान्दोला प. ह. किशनगढ की आराजी नं. 140/3 रकबा 11.05 बीघा के राजस्व रेकार्ड नक्शा लट्टा शीट में तरमीम दुरूस्ती करा इसमें 09.01 बीघा स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी भूमि ग्राम छाछीया बान्दोला प. ह. किशनगढ की आ.सं. 140/2 रकबा 9.01 बीघा को व आ. सं. 146/136 बिलानाम सरकार के स्थान पर आ.सं. 136/3 रकबा 1.19 बीघा को मौके पर आवंटी व इसके पश्चात वारिसान वादीगण के कब्जे अनुसार वाद मे वर्णित भूमि के पडोसियो के मध्य नक्शा लट्टा सीट मे तरमीम किये जाने की डिक्री फरमाई जावे। मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

.nirnay//rider

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 11:28:58 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित आराजियात के वादीगण रेकार्डेड खातेदार है। वादीगण की खातेदारी भुमि नक्शे में अन्य जगह तरमीम है जबकि वादीगण का कब्जा उक्त भुमि पर वक्त आंवटन से ही आंवटित भुमि पर ही कब्जा काश्त है। जिसकी ताईद प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट से होती है। जिससे वादीगण की खातेदारी भूमि में मौका, कब्जा व रेकार्ड अनुसार तरमीम संशोधन किया जाना उचित है। जिसे वादीगण का वाद पत्र डिकी किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम छाछीया बान्दोला प. ह. किशनगढ तहसील जहाजपुर की आराजी नं. 140/2 रकबा 9.01 बीघा, आ. सं. 136/3 रकबा 1.19 बीघा कुल किता 2 रकबा 11.00 बीघा तथा आ.न. 134/3 रकबा 1.00 बीघा, 140/3 रकबा 11.05 बीघा कुल किता 2 रका 12.05 बीघा भुमि की पुर्व तरमीम को विलोपित कि जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के मौके एवं कब्जा व रेकार्ड अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 11:28:58 IST
Reason: SelfAttested